बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

सं0–3 / अ0प्र0–1–168 / 2008 2317 /पटना, दिनांक– 30.10.23

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के अधीन रोसड़ा–बहेरी पथ में ग्राम सरहीला से ग्राम बंदा तक पथ निर्माण में अनियमितता की जाँच मुख्य अभियंता–3 द्वारा की गई। मुख्य अभियंता–3 द्वारा पत्रांक–4484 अनु0 दिनांक–18.12.2013 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण पथ का Bituminous Top लगभग 60 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो गया एवं परिणामस्वरूप WBM Gr-III layer की मुटाई भी प्रभावित हुई। पथ में तीन जगहों पर WBM Gr-II+WBM Gr-III की मूल मुटाई 6'' की स्थान पर 450 मीटर पर 5'' एवं 4000 मीटर पर 6'' पाया गया एवं मेटल की निर्धारित मात्रा भी कम पायी गयी।

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित श्री कुलानंद यादव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–3181 दिनांक–18.10.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री कुलानंद यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक–17.03.2017 में उल्लेख किया गया कि पथ निर्माण कार्य के पूर्ण होने की वास्तविक तिथि 16.01.2009 थी एवं एकरारनामा के अनुसार पाँच वर्षों तक अनुरक्षण मद में कार्य किया जाना था अर्थात अनुरक्षण कार्य सहित कार्य की समाप्ति की तिथि 15.01.2014 थी। पथ की जाँच दिनांक–12.12.2013 को की गयी जो कि लगभग अनुरक्षण मद के समाप्ति की तिथि के करीब है। वे सहायक अभियंता के रूप में कार्य प्रमंडल, रोसड़ा में दिनांक–18.07.2007 से 11.07.2011 तक पदस्थापित थे। मुख्य अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण उनके प्रभार सौंपने के लगभग ढ़ाई वर्षों बाद किया गया। इस प्रकार एकरारनामा के अनुरूप अनुरक्षण कार्य कराने का दायित्व उनके बाद के पदाधिकारियों का था।

श्री यादव के उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा मुख्य अभियंता–1 द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता–1 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री यादव दिनांक–18.07.2007 से दिनांक–11.07.2011 तक कार्य प्रमंडल, रोसड़ा में पदस्थापित थे। स्पष्ट है कि पथ का निर्माण कार्य दिनांक–16.01.2009 को समाप्त हो जाने के बाद भी लगभग ढ़ाई वर्षों तक कार्य प्रमंडल, रोसड़ा में पदस्थापित रहे किन्तु उक्त अवधि में उनके द्वारा संवेदक से कोई अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया। अतः श्री यादव का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने का मंतव्य मुख्य अभियंता–1 द्वारा दिया गया।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत श्री कुलानंद यादव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए इनके विरूद्ध आरोप वर्ष के लिए निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in

अतः श्री कुलानंद यादव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को प्रश्नगत मामले में बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निमय–14(i) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(1) **निंदन (आरोप वर्ष– 2011–12 के लिए)।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/10/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–168/2008 2318 /पटना, दिनांकः– 30.10.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–168/2008 2318 /पटना, दिनांकः– 30.10.23

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य(ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा/वीरपुर/प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री कुलानंद यादव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–168/2008 2318 /पटना, दिनांकः– 30.10.23

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/2023

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@

50